तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/10/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी महावीर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के कब्जे व खाते की आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम गिरधरपुरा पटवार हल्का गिरधरपुरा भू0 अ0 नि0 सकतपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 66 पुराना 64 के खसरा संख्या 114 रकबा 0.1600 है0 खसरा संख्या 116 रकबा 0.1700 है0, खसरा संख्या 117 रकबा 0.3100 है0, खसरा संख्या 118 रकबा 0.1800 है0, खसरा संख्या 119 रकबा 0.2000 है0 कुल कुल किता 5 कुल रकबा 1.02 है0 में 1/4 हक हिस्सा निहित है। उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम बाबू दर्ज किया गया। जबकि प्रार्थी के पिता का असली एवं वास्तविक नाम लटूरलाल है। प्रार्थी के पिता का बचपन का मुंह नाम बाबू है। बाबू एवं लटूरलाल एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः श्रीमान से प्रार्थना हैं कि प्रार्थी के कब्जे व खाते की आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम गिरधरपुरा पटवार हल्का गिरधरपुरा भू0 अ0 नि0 सकतपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 66 पुराना 64 के खसरा संख्या 114 रकबा 0.1600 है0 खसरा संख्या 116 रकबा 0.1700 है0, खसरा संख्या 117 रकबा 0.3100 है0, खसरा संख्या 118 रकबा 0.1800 है0, खसरा संख्या 119 रकबा 0.2000 है0 कुल कुल किता 5 कुल रकबा 1.02 है0 में महावीर पुत्र बाबू के स्थान पर महावीर पुत्र लटूरलाल दर्ज किया जावे। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया गया कि ग्रामवासियान द्वारा बताया गया कि महावीर पुत्र बाबू मूलतः ग्राम रामपुरा में निवास करता है। गिरधरपुरा में प्रार्थी के अन्य परिवारजन निवास करते है उनके द्वारा बताया गया कि महावीर के पिता का सही नाम लटूरलाल था जिन्हे बाबू के नाम से भी बुलाते थे। पटवारी लाडपुरा द्वारा की गई वारिसान जॉच रिपोर्ट में भी लटूरलाल व बाबू को एक ही व्यक्ति बताया गया है। अतः प्रार्थी महावीर पुत्र बाबू के स्थान पर महावीर पुत्र लटूरलाल उर्फ बाबू किया जाना उचित होगा। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मौका परचा बाबत वारिसान जॉच का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लाडपुरा की अनुशंषा एवं दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लटूरलाल और बाबू एक ही व्यक्ति है। जिस कारण से प्रार्थी महावीर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को ग्राम गिरधरपुरा पटवार हल्का गिरधरपुरा भू0 अ0 नि0 सकतपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 66 पुराना 64 के खसरा संख्या 114 रकबा 0.1600 है0 खसरा संख्या 116 रकबा 0.1700 है0, खसरा संख्या 117 रकबा 0.3100 है0, खसरा संख्या 118 रकबा 0.1800 है0, खसरा संख्या 119 रकबा 0.2000 है0 कुल कुल किता 5 कुल रकबा 1.02 है0 के राजस्व रिकार्ड में महावीर पुत्र बाबू के स्थान पर महावीर पुत्र बाबू उर्फ लटूरलाल दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। उक्त निर्णय आज दिनांक 10/10/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा